भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला

(आदेश–फलक)

भूमि वापसी वाद संख्या–17 / 2017–18

केस का प्रकार :– भू वापसी

लछु उरांव, पिता–स्व0 शिवु उरांव एवं अन्य–01 ..... आवेदक

–बनाम–

राज कुमार कालिन्दी, पिता–शिरिश कालिन्दी एवं अन्य–01 .....विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवा
23.07.2020	यह वाद श्री लछु उरांव, पिता–स्व0 शिवु उरांव (2) श्री शोभापति उरांव, पिता–उमेश उरांव, निवासी ग्राम–ईचड़ा (उरांव टोला), थाना–जादुगोड़ा, अंचल–मुसाबनी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत भूमि वापसी आवेदन पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, मुसाबनी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, मुसाबनी के पत्रांक–275, दिनांक–22 / 04 / 2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में श्री राज कुमार कालिन्दी (2) श्री उमाकान्त कालिन्दी दोनो के पिता–शिरिश कालिन्दी, ग्राम–ईचड़ा, थाना–जादुगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को विपक्षी बनाते हुए वाद प्रारम्भ की गयी। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। विवादित भूमि का विवरणी निम्न प्राकर है:–	

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
ईचड़ा	1103	220	481	0.15 ए0

उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से दिनांक–11 / 07 / 2019 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर लिखित बहस एवं आवेदन पत्र में उल्लेख है कि हाल सर्वे 1964 के खतियान में शिवु उरांव, रामचरण उरांव, मोदी उरांव तथा पूर्ण उरांव, पिता–धारमु उरांव के नाम पर विवादित भूमि दर्ज हैं, जो आवेदक के पिता हैं। खतियानी रैयत के मृत्यु के पश्चात आवेदक उक्त भूमि पर शांति पूर्वक रहते आ रहे थे तथा लगान भी वर्ष–2015–16 तक दिया गया है। विपक्षी प्रशनगत भूमि को वर्ष 2008 से छल–परपंच एवं धोखाधड़ी के माध्यम से अवैध रूप से एवं जबरन कब्जा किये

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 का उलंघन हुआ है। अतः आवेदक छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71(A) के तहत प्रश्नगत भूमि को भू–वापसी (Restore) करने का अनुरोध किया गया हैं।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कारण–पृच्छा में उल्लेख है कि यह वाद विपक्ष के खिलाफ मिथ्या दायर किया गया हैं तथा विधि सम्मत तरीके में तथा तथ्यात्मक बिन्दुओं पर कोई सत्यता नहीं है। हल्का कर्मचारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया गया। विपक्षी को किसी भी तरह से प्रश्नगत भूमि का छल–परपंच के तहत हस्तान्तरण नही किया गया है। इसलिए यह वाद गलत तरीके से प्रारम्भ किया गया है। आवेदक द्वारा वर्ष–2017 को यह वाद दायर किया गया है जो सीमित अवधि 30 वर्षो से अधिक है। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का भू–वापसी हेतु दायर आवदेन को खरिज किया जाना चाहिए क्योंकि मौजा–ईचड़ा, थाना नं0– 1103, खाता नं0–220, प्लॉट नं0–481, रकवा–0.36 एकड़ भूमि को पूरनानी कालिन्दी, पति–स्व0 शिरिश कालिन्दी द्वारा Registered Deed of Relinquish or Deed of disclaim दिनांक–17/09/1973 के माध्यम से शिवु उरांव, राम चरण उरांव, तथा मोती उरांव सभी के पिता–स्व0 धारमु उरांव से प्राप्त किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्ष–1973–74 से विपक्षी के द्वारा शांति पूर्वक दखल कब्जा किये हुए है। मकान का अनुमानित मूल्य 10,00,000.00 (दस लाख) रूपया हैं। विपक्षी का कहना है कि उन्होंने उक्त भूमि पर विगत 30 वर्षो से अधिक उनका दखल कब्जा रहा जबकि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71'A' में आवेदन दायर करने के लिए 30 वर्षो के अन्दर करना चाहिए था परन्तु इस वाद मे उससे अधिक अवधि से विपक्षी का उक्त भूमि पर दखल हैं। इस लिए आवेदक का आवेदन को खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, मुसाबनी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात तथा अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहँचता है कि विवादित भूमि वर्ष 1964 के हाल सर्वे खतियान में अनुसूचित जनजाति के सदस्य शिवु उरांव, राम चरण उरांव, मोदी उरांव तथा पूर्ण उरांव, पिता–धरमु उरांव के नाम पर दर्ज हैं। आवेदक खतियानी रैयत के पुत्र है। उक्त विवादित भूमि पर विपक्षी अवैध रूप से दखलकार है। आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं तथा विपक्षी अनुसूचित

Classification

Compared and found correct

जनजाति का सदस्य नहीं है। बिहार विशेषाधिकृत व्यक्ति वास भूमि अभिधृति अधिनियम 1947 का धारा-2(i) to 2(j) के अर्न्तगत विपक्षी प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति के श्रेणी में नही आते है, जो कि इनके द्वारा निर्मित मकान के मूल्यांकण से स्वतः स्पष्ट है। धारा 2(j) के अनुसार भू स्वामी एवं रैयत में किसी प्रकार संबंध स्थापित नहीं होता। साथ ही विपक्षी के पास 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये का मकान बनाया हुआ है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा आवेदक की जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 का उल्लंघन कर अवैध रूप से दखल किया गया है।

अतः छोटानागपुर काश्तकरी अधिनियम–1908 की धारा 71(A) के तहत आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–ईचड़ा, थाना नं0–1103, खाता नं0–220, प्लॉट नं0–481, रकवा–0.15 एकड़ भूमि में से खाली भूखण्ड को सात दिनों के अन्दर तथा उक्त भूमि पर अवस्थित संरचना को 6 (छः) माह के अन्दर हटाकर प्रथम पक्ष को वापस की जाय तथा अंचल अधिकारी, मुसाबनी को निदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि के खाली भूखण्ड को सात दिनों के अन्दर तथा उक्त भूमि पर अवस्थित संरचना को 6 (छः) माह के अन्दर हटाकर प्रथम पक्ष को दखल दिलाकर न्यायालय में प्रतिवेदन दें। तदनुसार अंचल अधिकारी, मुसाबनी को दखल दिहानी पारवाना निर्गत करें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–23../07../2020 को पारित किया जा रहा हैं।

यदि पारित आदेश के विरुद्ध किसी को अपात्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

23/07/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

23/07/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।